

174

अनवान

कैलाश प्रकाश कजोरे देगड वगैरे
निवासी धामन्या लोठेरे प्रार्थी / प्रार्थीगण
बनाम

जगदीश देव अगस्ताथ कुगाकर वगैरे
निवासी धामन्या लोठेरे विपक्षी / विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करनेः

न्यायालय में अधिवक्ता श्री R.S. युवावत के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा धामन्या पटवार हल्का धामन्या की आराजी संख्या 1157/2 कुल कीता-0.1 कुल रकबा 0.8090 हे. कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा धामन्या पटवार हल्का धामन्या की आराजी संख्या 1157/2 कुल कीता-0.1

कुल रकबा 0.8090 भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी कर की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें। संलग्न :- प्रार्थना पत्र कीता-

क्रमांक / सरिस्ता / 2025/ 306
प्रार्थना पत्र संख्या 87/25

व अनवान के द्वारा प्रार्थना पत्र अंश 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालगार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चित्तौडगढ़ (राज.)